>

Title: Need to take effective measures to ban child labour in the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): महोदय मेरा सुझाव है कि ः-

1. शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुरूप निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत शिक्षा पूरी किए बिना बच्चों से किसी भी प्रकार की बाल मजदूरी कराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

2. किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए किसी भी प्रकार के खतरनाक व अस्वास्थ्यकर अवमाननापूर्ण उद्योग व उत्पादन प्रक्रिया में 18 साल आयु तक के बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।

3. कानूनी रूप से बाल श्रम को संज्ञेय एवं गैर जमानती घोषित किया जाए तथा अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही को ज्यादा कठोर व समयबद्ध किया जाए।

4. बाल मजदूरों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए एक ऐसा समग्र एवं राष्ट्रीय कार्ययोजना लागू की जाए तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निगरानी की प्रक्रिया एवं समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

5. निकृष्टतक प्रकारों की बाल मजदूरी को रोकने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों (आईएलओ कन्वेशन 182) तथा रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण करने वाले कानून (आईएलओ कन्वेशन 138) को संसद में पारित कर प्रयत्न करना चाहिए।